फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

गुडूदेवी उर्फ प्रभा देवी पत्नि राजेन्द्र कुमार जैन नि. बागुदार वगैरा

बनाम

कल्याण पिता श्रवणलाल सुनार नि. बागुदार वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 28 /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
02.03.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 395 कुल किता 01 रकबा 0.5616 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। परन्तु उक्त कृषि भूमि के पडौसी अप्रार्थीगण होने से उन्हे सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नही होने से आये दिन सीमा बिन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। एवं प्रार्थी उक्त कृषि भूमि का सीमांकन/पत्थरगढी कराकर भूमि को उपयोगी उपजाउ एवं विकसित करना चाहता है, इसलिये उक्त भूमि को उपयोगी एवं विकसित उपजाउ बनाने के लिये उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बागुदार प. ह. बागुदार तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 395 कुल किता 01 रकबा 0.5616 हैक्टेयर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500– रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 02 .03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	

Scanned with CamScanner